

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ:दिनांक 08 सितम्बर, 2023

विषय:-स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत सहारनपुर शहर हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमानित केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में, मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 49.00 करोड़ अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपयुक्त विषयक मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1454/106/SSCM/2020-21, दिनांक 22.08.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत सहारनपुर शहर हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमानित केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में, मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 49.00 करोड़ (रू0 उनचास करोड़ मात्र) निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे स्मार्ट सिटी, सहारनपुर के एस0एन0ए0 एकाउंट में अन्तरित की जाएगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रश्नगत धनराशि स्मार्ट सिटी, सहारनपुर द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (4) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (5) कार्यों की द्विवारवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी नगर आयुक्त द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
- (6) उपरोक्त स्मार्ट सिटी के लिए अवमुक्त केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि का उपभोग के समय भारत सरकार की गाइड-लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।

- 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में, मैचिंग राज्यांश निर्गत करने के संबंध में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-24/2022/बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08.11.2022 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-02/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050518908 सहारनपुर, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-198-X-2023-24, दिनांक- 08 सितम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-35/2023/1695/नौ-9-2023-001-E-1647239, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सहारनपुर।
- 10- एस0पी0वी0, सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
- 11- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Concurrence Sanction Report

Amount In : (Amounts in Lakhs of rupees) ▾

नगर विकास

स्वीकृति आदेश संख्या: 001-E-1647239 स्वीकृति तिथि: 07/09/2023


यू0 ओ0 संख्या: A009-20232024-001-E-1647239

अनुदान संख्या: 37 - नगर विकास विभाग

लेखाशीर्षक: 2217050518908 - सहारनपुर, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु

आयोजनेत्तर-मतदेय
(धनराशि लाख रुपये में)

मानक मद	प्रावधान	पूर्व स्वीकृति	प्रेक्षित स्वीकृति	अनुमोदित स्वीकृति
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	19,600.00	2,450.00	4,900.00	4,900.00
योग :	19,600.00	2,450.00	4,900.00	4,900.00


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव